न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—218 / 2021 / 225 आर.टी.एक्ट (2021 / 218)

1. महावीर पुत्र नारायण
2. बल्लू पत्नी प्रहलाद
3. राजू पुत्र प्रहलाद
4. हेमराज पुत्र प्रहलाद
5. मोनू पुत्र प्रहलाद
6. लालाराम पुत्र प्रहलाद
7. शंकर पुत्र नारायण

समस्त जाति दरोगा, निवासी केकड़ी तहसील केकड़ी, जिला अजमेर।

अपीलांटस

बनाम

1. भूरी तथाकथित पुत्री नारायण, पत्नी छोटू जाति दरोगा, निवासी श्रीराम कॉलोनी, केकड़ी, तहसील केकड़ी, जिला अजमेर।
2. मैसर्स श्रीनाथ माईन्स एण्ड मिनरल्स, केकडी जरिये पार्टनर्स—
   2 / 1 रामअवतार डोडिया पुत्र रामप्रताप डोडिया
   2 / 2 बालकिशन साहू पुत्र गजानन्द साहू
   2 / 3 बिरदीचन्द डोडिया पुत्र रामप्रताप डोडिया
   2 / 4 निलेश कर्नावट पुत्र सुशील कर्नावट
   समस्त निवासी केकडी, तहसील केकडी, जिला अजमेर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी जिला अजमेर।

रेस्पोडेन्टस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय दिनांक 2.9 .2021 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी, प्रकरण संख्या124 / 2019

उपस्थितः—

1. श्री आर.पी.शर्मा अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री जी.एस.लखावत अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1
3. श्री हेमराज गुप्ता अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 2 / 1 से 2 / 4
4. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट संख्या 3

निर्णय

दिनांकः—20.09.2022

1. यह अपील उपखण्ड अधिकारी केकड़ी द्वारा प्रकरण संख्या 124 / 2019 में पारित आदेश दिनांक 2.9.2021 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

2- प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी / रेस्पोडेंट संख्या 1 ने एक वाद अंतर्गत धारा 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 4813, 4814, 4817 लगायत 4822, 4828, 4829, 4946 लगायत 4950 वाके स्थित कस्बा केकडी

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

बाबत उपखण्ड अधिकारी केकड़ी के समक्ष पेश किया।रेस्पोडेंट संख्या 1 (जिसे आगे चलकर विपक्षी कहा जाएगा) ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया। उपखण्ड अधिकारी केकड़ी ने अपने आक्षेपित आदेश दिनांक 2.9.2021 द्वारा रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान कश्तकारी अधिनियम को स्वीकार कर लिया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के आदेश दिनांक 124/2019 से असंतुष्ट होकर अपीलांटस द्वारा यह अपील माननीय न्यायालय के समक्ष निम्न आधारों पर प्रस्तुत की जा रही है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने जवाब/बहस में कथन किया कि यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि रिकार्डेड खातेदार को किसी भी प्रकार की निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जा सकता है इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त सिद्धांत के विपरीत विपक्षी के कथनों के आधार पर अवैधानिक रूप से रिकार्डेड खातेदार को पाबंद किए जाने में गंभीर त्रुटि कारित की है जो काबिल निरस्त योग्य है। यह कि रेस्पोडेंट संख्या 1 ने नारायण की पुत्री होने बावत कोई सबूत पेश नहीं किया जिस कारण रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत वाद एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पोषणीय ही नहीं था। न्याया का सुस्थापित सिद्धांत है कि अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र में प्रथम दृष्टता प्रकरण, सुविधा का संतुलन, अपार क्षति का बिंदु इन तीनों बिंदुओं का अंकन होना आवश्यक है एवं इन्हें सिद्ध किए बगैर अस्थायी निषेधाज्ञा पारित नहीं कि जा सकती है प्रस्तुत प्रकरण में रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र में इन तीनों बिंदुओं में से किसी एक भी बिंदु का कोई अंकन नही है एवं ना ही रेस्पोडेंट संख्या 1 ने इन्हें किसी प्रकार से सिद्ध किया है। यह कि यह न्याय का सुस्थापित सिद्धांत है कि प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एंव अपार क्षति के बिंदु इन तीनों में से यदि एक भी बिंदु सिद्ध नहीं हो तो अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। प्रस्तुत प्रकरण में तो यह तीनों ही बिंदु प्रार्थना पत्र में अंकित ही नहीं किए गए एंव न ही सिद्ध किए गए जिस कारण रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा पोषणीय ही नहीं था एवं इसी बिंदु पर काबिल निरस्त योग्य था। यहां यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि प्रस्तुत प्रकरण में इसी वादग्रस्त आराजी के संबंध में अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र संख्या 136/2017 प्रस्तुत किया गया था जिसमें दिनांक 28.10.2017 को अंतरिम स्थगन आदेश आगामी तारीख पेशी दिनांक 10.1.2018 तक पारित किया गया जिसके विरूद्ध अपीलांटस ने माननीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की जो माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.9.2018 द्वारा पोषणीय नहीं मानकर निरस्त कर दी गई। विपक्षी ने दूसरा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 संख्या 13/2019 प्रस्तुत किया जो दिनांक 25.4.2019 को नोट प्रेस कर लिया गया इसके बावजूद उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी ने रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर भारी कानूनी भूल की है। अतः प्रार्थना है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर उपखण्ड अधिकारी केकड़ी, द्वारा पारित निर्णय दिनांक 2/9/2021 निरस्त फरमाए जाने के आदेश प्रदान करावें।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 01 ने दौराने जवाब/बहस अपील में कथन किया कि वर्णित आराजीयात प्रार्थीया की पुश्तैनी आराजीयात है जो प्रार्थीया के दादा बालू पुत्र रोड़ा जाति दरोगा के नाम राजस्व रिकार्ड 1349 फसली में बतौर खातेदार के दर्ज है तथा उनकी मृत्यु के उपरांत बालू पुत्र रोड़ के एक मात्र विधिक वारिस नारायण के नाम बतौर खातदेारी में आराजीयात राजस्व रिकार्ड में दर्ज की गई। नारायण पुत्र बालू जाति दरोगा प्रार्थीया का पिता है तथा प्रार्थीया के पिता की मृत्यु हो चुकी है तथा उनकी मृत्यु के उपरान्त प्रार्थीया व अप्रार्थी संख्या 01 व प्रहलाद व अप्रार्थी संख्या 07 उनके विधिक वारिसान है। प्रहलाद की मृत्यु हो चुकी है तथा अप्रार्थी संख्या 02 लगायत 06 मृतक प्रहलाद के विधिक वारिस है। प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात प्रार्थीया की पुश्तैनी आराजीयात है तथा प्रार्थीया का पुश्तैनी आराजीयात में जन्म से ही हक अधिकार हिस्सा निहित है तथा प्रार्थीया के पिता की मृत्यु के उपरान्त प्रार्थीया अपने हिस्से 1/4 हिस्से को काश्त कर उपज प्राप्त करती चली आ रही है। अप्रार्थीगण ने प्रार्थीया के पिता की मृत्यु के उपरान्त राजस्व अधिकारियों से मिलीभगत कर नामान्तकरण स्वयं के नाम दर्ज करवा लिया है जबकि स्वर्गीय नारायण की जायन्दा पुत्री का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं किया है, जो दुरूस्त किये जाने योग्य है, इसलिए यह वाद प्रस्तुत करना लाजमी आया है। प्रार्थीया नारायण की पुत्री है या नहीं यह मूल वाद में बाद शहादत तय होगा। वर्तमान में प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति का बिन्दू प्रार्थीया वर्तमान रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के पक्ष में है। आज की तारीख में प्रश्न यह है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी ने दिनांक 02.09.2021 को यथास्थिति बनाये रखे जाने एवं विवादित आराजी को विक्रय, हस्तातरण रहन, बक्षीस नहीं करने हेतु पांबद किया है, जो विधि सम्मत है। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश से प्रार्थी/अपीलांट को किसी प्रकार की क्षति उत्पन्न नहीं होती है। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावें।

6. विद्धान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 2/1 से 2/4 ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि खसरा नम्बर 4949 रकबा 1.34 है. में से 1.34 है0 को दिनांक 03.09.2020 को क्रय कर ली है हमने जमाबंदी देख कर क्रय की है, जमाबंदी में स्थगन आदेश का अंकन नही था। हम विवादित आराजी के सद्भाविक क्रेता है। प्रार्थीया, अप्रार्थीगण की बहिन नही है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थीया द्वारा जो अध्यक्ष नगर पालिका, केकड़ी द्वारा जारी सजरा प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया है, जो कानूनी नही है। नगर पालिका, केकड़ी को पारिवारिक सजरा प्रमाण–पत्र जारी करने का अधिकार नही है, जो स्वीकार किये जाने योग्य नही है। प्रार्थना–पत्र धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम वेग अस्पष्ट व अनिश्चितता का होने से खारिज योग्य था, जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने विधि विरूद्ध स्वीकार कर त्रुटि कारित की है। अभिभाषक ने अपने समर्थन में 2008 आर.बी.जे. पेज 786, 1997 आर.बी.जे. पेज 370, 1995 आर.बी.जे. पेज 3, 2000 आर.बी.जे. पेज 570, 2011 आर.बी.जे. पेज 63, 2010 आर.बी.जे. पेज 135, 1997 आर.बी.जे. पेज 481, 2015 डी.एन.जे.(रेवेन्यू) पेज 59, 2013 डी.एन.जे.(रेवेन्यू) पेज 18, 2012 आर.आर.टी.(।।) पेज 1439, 2006 आर.आर.टी.(1) पेज 623के न्यायिक दृष्टांत पेश किये है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

7. विद्धान अभिभाषक उभयपक्ष के द्वारा की गई बहस पर मनन किया गया एवं गुणावगुण पर पत्रावलियों का एवं न्यायिक दृष्टांतो का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम के तीनो बिन्दुओं क्रमशः प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति की आदेश में विवेचना नही की है। जाप्ता दीवानी के आदेश 20 नियम 05 की पालना न कर केवल साईक्लोस्टाईल आदेश जारी किया गया है। एक तरफ न्यायालय नामान्तकरण दर्ज करने की अनुमति दे रहा है, दूसरी तरफ स्थगन आदेश देता है जो कि विरोधभासी है। धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम के अधीन आदेश का स्वरूप प्रतिषेध का आदेश (मना करने का आदेश) जारी किया जा सकता है पर किसी सकारात्मक कार्य करने के निर्देश देने का आदेश (आज्ञापक आदेश) जारी नही किया जा सकता है। धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत आज्ञापक आदेश जारी नहीं किया सकते है। बाला बनाम खेमा 1994(1) आर.बी.जे. पेज 190 उक्त स्थगन आदेश आज्ञापक व प्रतिषेधात्मक का मिश्रण है, जो अपने आप में विरोधाभासी है। उपरोक्त कारण से अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के आदेश दिनांक 02.09.2022 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी को इन निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते है कि वादिया मूल खातेदार नारायण पुत्र बालू की पुत्री होने बाबत् प्रस्तुत साक्ष्यो की वैधता एवं प्रभाविकता की विस्तृत जॉच कर विवादित आराजी पर कब्जे बाबत् निष्कर्ष अंकित करते हुए धारा 212 के तीनो आवश्यक बिन्दू प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति पर विस्तृत विवेचन करते हुए एवं पक्षकारान को जवाब/बहस का समुचित एवं पूर्ण अवसर देते हुए पुनः गुणावगुण पर केवल निषेधात्मक आदेश पारित करें।

8. अतः अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के आदेश दिनांक 02.09.2021 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि वे वादिया मूल खातेदार नारायण पुत्र बालू की पुत्री होने बाबत् प्रस्तुत साक्ष्यो की वैधता एवं प्रभाविकता की विस्तृत जॉच कर विवादित आराजी पर कब्जे बाबत् निष्कर्ष अंकित करते हुए धारा 212 के तीनो आवश्यक बिन्दू प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति पर विस्तृत विवेचन करते हुए एवं पक्षकारान को जवाब/बहस का समुचित एवं पूर्ण अवसर देते हुए पुनः गुणावगुण पर केवल निषेधात्मक आदेश पारित करें। पक्षकारान को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 17.10.2022 को उपस्थिति होने हेतु पाबंद किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

9. निर्णय आज दिनांक 20.09.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर